

प्रेस विज्ञप्ति

जिला सदर अस्पताल को बेहतर संचालन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के IPH के मानक के अनुरूप करने के लिए विभागीय दिशा-निदेश ज्ञापांक 108(21) दिनांक 14/08/2024 के अनुरूप सदर अस्पताल रामगढ़ में विशेषज्ञ/ अति विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवा परामर्शी के रूप में उपलब्ध कराने हेतु जिला स्तर पर एक पैनल का निर्माण किया जाना है। इस हेतु विशेषज्ञ/ अति विशेषज्ञ चिकित्सक से इच्छा की अभिव्यक्ति मांगी जा रही है। यह पैनल सतत प्रक्रिया के तहत गठित की जा रही है, अर्थात् विशेषज्ञ/ अति विशेषज्ञ चिकित्सक किसी भी समय परामर्शी सेवा देने हेतु आवेदन कर सकते हैं। चयन समिति के अनुमोदन उपरांत आवेदित विशेषज्ञ/ अति विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवा ली जायेगी।

निम्न विशेषज्ञ/ अति विशेषज्ञता विभाग हेतु विशेषज्ञ/ अति विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें परामर्शी के रूप में आवश्यक है :-

क्र० सं०	अति विशेषज्ञता विभाग का नाम	पदों की संख्या	क्र०सं०	विशेषज्ञ विभाग का नाम	पदों की संख्या
1	Cardiology	02	1	Medicine (Physician)	10
2	Cardio thoracic & Vascular Surgery	02	2	General Surgery	03
3	Neurology	02	3	Pediatrician	02
4	NeuroSurgery	02	4	ENT	01
5	Oncology a. Medicine b. Surgery	a.02 /b.0 2	5	Psychiatrist	01
6	Urology	02	6	T.B & Chest	01
7	Nephrology	01	7	Skin & V.D.	01
8	Medical Gastroenterology	02			
9	Surgical Gastroenterology	02			
10	Intencivist	02			

2. आवश्यक योग्यता एवं आयु सीमा :-

- विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में परामर्शी के लिए MBBS, MD / Ms/ DNB (Specialty)
- अति विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में परामर्शी के लिए - DM / MCH / DNB / (Superspecialty)

3. चयन प्रक्रिया :-

- इच्छुक चिकित्सकों का चयन - Walk-in Interview के माध्यम से किया जायेगा।
- योग्य चिकित्सकों की सूची तैयार कर पैनल में शामिल किया जायेगा।
- सदर अस्पताल / अनुमण्डल अस्पताल में आवश्यकतानुसार उनसे सेवाएँ ली जायेगी।

पत्रिका-1245/2024
दिनांक-27/5/2025

 

iv . यह प्रक्रिया निरंतर (Rolling basis) पर जारी रहेगी अर्थात इच्छुक चिकित्सक कभी भी आवेदन कर सकते हैं और निर्धारित तिथियों पर आयोजित साक्षत्कार में भाग ले सकते हैं।

V. सरकारी नौकरी में कार्यरत चिकित्सक इन पदों के लिए योग्य नहीं होंगे।

5. सेवा की शर्त एवं Remunerations –

(क) विशेषज्ञ/ अति विशेषज्ञ चिकित्सकों (Superspeciality/ specialty Consultants) की ली लाने वाली सेवाओं के लिए विभागीय संकल्प सं0108(21) दिनांक 14/08/2024 के आलोक में कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा किया जाने वाला संशोधन स्वतः प्रभावी होगा।

(ख) परामर्शी चिकित्सकों की सेवा का मूल्यांकन उनके Performance के आधार पर समय –समय पर किया जायेगा। Performance असंतोषजनक पाये जाने पर संबंधित चिकित्सकों को पैनल से बाहर करते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। तथा भविष्य में उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जायेगा।

6. Walk-in Interview का स्थान :- सिविल सर्जन कार्यालय के सभा कक्ष।

Walk-in Interview की तिथि :- 09 अप्रैल 2025 पूर्वाह्न 11.30 बजे से।

7. सभी इच्छुक उम्मीदवार अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकेंगे। आवेदन पत्र में अंकित सभी वांछित सूचनाएँ पूर्ण रूपेण भरकर, सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं उपकी स्वा-अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निर्धारित तिथि एवं स्थान पर ससमय Walk-in Interview में उपस्थित होंगे।

8. इस विज्ञापन को स्थगित करने , किसी आवेदन को बिना कोई कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं रिक्ति के अवशेष रहने की अवस्था में पुनः विज्ञापन प्रकाशित करने का सर्वाधिकार स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग रामगढ़. को सुरक्षित रहेगा।

M.A.
27/3/25

असैनिक शल्य चिकित्सक

—सह—

मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी

रामगढ़ ।

4712-1245/2025
16713- 27/3/2025

A

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

सदर अस्पतालों के अन्तर्गत स्पेशियलिटी एवं सुपरस्पेशियलिटी विभागों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ/अति विशेषज्ञ चिकित्सकों को Consultant के रूप में सेवा प्राप्त करने हेतु

आवेदन पत्र

1. आवेदित पद/विभाग का नाम :-

2. आवेदक का नाम :-

क) हिन्दी में.....

ख) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में :-

3. पिता/पति का नाम :-.....

4. जन्मतिथि (अंक में).....

(शब्द में)

5. पत्राचार का पत्ता-वर्तमान पत्ता/मोहल्ला.....

पोस्ट.....थाना.....

जिला.....राज्य.....पिन कोड.....

ई-मेल.....मो0 नं0.....

6. शैक्षणिक योग्यता

क / स	उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड / वि0वि0 / संस्था का नाम	वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
	एम0बी0बी0एस0					
	एम0डी0 / एम0एस0 / डी0एन0बी0 / डिपलोमा इत्यादी					
	DM/MCH/DNB(Superspecialty)					

7. आवेदक सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे।

8. अनुलग्नकों की सूची :

a)

b)

c)

d)

स्वहस्ताक्षरित
फोटो चिपकाएं

पत्रिका-1245/2005
दिनांक- 27/3/2005

घोषणापत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती/हूँ कि आवेदपत्र में उल्लिखित सभी विवरणी सत्य है। किसी प्रकार की गलत सूचना एवं अनुमान्य अर्हता/अनुभव नहीं पाये जाने पर आवेदन अस्वीकार करने या किसी भी निर्णय के लिये चयन समिति सक्षम होगा तथा जो मुझे स्वीकार होगा

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान.....

दिनांक.....

पत्रिका 1245
दिनांक 22/3/2025

Q

my

6

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

संकल्प

विषय:- मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना एवं आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत सरकारी चिकित्सा संस्थानों द्वारा उपार्जित राशि के उपयोग के दिशा निर्देश के संबंध में।

1. राज्य में राज्य योजना अन्तर्गत राज्य की जनता को गुणवत्तापूर्ण उच्चतर स्वास्थ्य सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना तथा केन्द्र प्रायोजित आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना संचालित है। योजना अन्तर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों को निर्धारित Package अनुसार चिकित्सोपरांत Claim राशि प्राप्त होती है।

यह राशि अस्पताल के पंजीकरण शुल्क, बेड शुल्क(जेनरल वार्ड), नर्सिंग एवं बॉर्डिंग शुल्क, सर्जन, एनेस्थेडिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट्स शुल्क आदि, एनेस्थीसिया, ब्लड रिफ्यूजन, ऑक्सीजन, ओटीडी शुल्क की लागत, सर्जिकल उपकरण आदि, दवाएँ, कृत्रिम उपकरणों, प्रत्यारोपण आदि की लागत, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी परीक्षण, जाँच एवं परीक्षण आदि, रोगी को भोजन, अस्पतालीकरण के पूर्व जाँच छुट्टी के उपरांत 15 दिनों तक के जाँच एवं दवा, अस्पताल में रोगी के उपचार से संबंधित अन्य खर्च निःशुल्क एवं कैशलेस उपचार के विरुद्ध प्राप्त होती है।

2. योजना अन्तर्गत सूचीबद्ध सरकारी अस्पतालों को भी निःशुल्क उपचार के विरुद्ध संबंधित रोग हेतु निर्धारित Package के अन्तर्गत Claim की गई राशि प्राप्त होती।

विभागीय अधिसूचना संख्या-87(13) दिनांक-12.03.2019 के द्वारा योजना अन्तर्गत अस्पताल द्वारा उपार्जित दावा राशि का उपयोग अस्पताल स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति द्वारा निम्नलिखित अनुपात में की जाती है:-

(a) चिकित्सक एवं अन्य सहयोगी कर्मों को प्रोत्साहन राशि	25%
(b) पारिश्रमिक, उपभोग सेवाओं एवं वस्तुओं के क्रय तथा अस्पताल/संस्था के विकास एवं सुदृढीकरण हेतु	75%

3. वर्तमान में राज्य के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है। इसके फलस्वरूप विभिन्न स्तर के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने में कठिनाई उत्पन्न होती है।

4. उक्त के आलोक में स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से चिकित्सा संस्थानों को उपार्जित राशि से विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाना है। इससे सरकारी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से आम जनता को उच्चतर गुणवत्ता पूर्ण सुविधा प्राप्त होने के साथ ही चिकित्सकों को सरकारी चिकित्सा संस्थानों में उत्तम स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में अभिरुची बढ़ेगी तथा प्रोत्साहित होंगे।

DPK

RA

5. बीमा योजनाओं से उपार्जित राशि से अस्पताल द्वारा निजी चिकित्सकों को Hire basis पर सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। ये सेवाएं मासिक परिलब्धि/दैनिक पारिश्रमिक अथवा Procedure की संख्या के आधार पर प्राप्त की जा सकती है।
6. सरकारी चिकित्सा संस्थानों द्वारा निम्न तालिकाओं के अनुसार उपार्जित राशि का उपयोग किया जायेगा:-

(i) क्षेत्रीय अस्पताल(जिला अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र)

जिला अस्पताल/अनुमण्डल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से उपार्जित होने वाली राशि का वितरण निम्न प्रकार किया जायेगा:-

- (क) संस्थान के सुदृढीकरण हेतु - 75%
- (ख) प्रोत्साहन राशि - 25%

प्रोत्साहन राशि का वितरण निम्न तालिका के अनुसार किया जायेगा:-

सदर अस्पताल

चिकित्सा कर्मी	सरकारी चिकित्सकों/चिकित्सा कर्मी द्वारा किये जाने वाले उपचार की स्थिति में (प्रोत्साहन राशि 25% अंतर्गत)	बाह्य विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किये जाने वाले उपचार की स्थिति में(प्रोत्साहन राशि 25% एवं सुदृढीकरण हेतु निर्धारित 75% अंतर्गत)		बाह्य अति विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किये जाने वाले उपचार की स्थिति में (प्रोत्साहन राशि 25% एवं संस्थान सुदृढीकरण हेतु निर्धारित 75% अंतर्गत)	
		(प्रोत्साहन राशि 25% के अंतर्गत)	(अतिरिक्त राशि संस्थान सुदृढीकरण हेतु निर्धारित 75% अंतर्गत)	(प्रोत्साहन राशि 25% के अंतर्गत)	(अतिरिक्त राशि संस्थान सुदृढीकरण हेतु निर्धारित 75% अंतर्गत)
	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत
सिविल सर्जन/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	2	2		2	
उपाधीक्षक	2	2		2	
सर्जन/मुख्य चिकित्सक जिनके द्वारा ईलाज प्रदान किया गया।	25	25	19	25	25
फिजिशियन/उपचार में सहभागी अन्य चिकित्सक	10	10		10	
निश्चेतक/अन्य विभाग के चिकित्सक जिनके द्वारा चिकित्सा प्रबंधन में सहयोग प्रदान किया गया	15	15	5	15	5
स्टाफ नर्स	15	15		15	
नर्सिंग सहायक	10	10		10	

DPR

DR

प्रयोगशाला तकनीशियन	5	5	5	
रेडियोलॉजी तकनीकी सहायक	5	5	5	
अन्य पारा मेडिकल स्टाफ एवं हाउस कीपिंग स्टाफ	5	5	5	
अन्य सहयोगी कर्मी	6	6	6	

बाह्य श्रोत से विशेषज्ञ चिकित्सक/अति विशेषज्ञ चिकित्सक एवं निश्चेतक को सामान्य प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त देय राशि संस्थान के सुदृढीकरण हेतु निर्धारित राशि से दी जायेगी।

(ii) चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल:

चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से उपार्जित होने वाली राशि का वितरण निम्न प्रकार किया जायेगा:-

- (क) संस्थान के सुदृढीकरण हेतु - 35%
 (ख) संबंधित विभाग के सुदृढीकरण हेतु - 40%
 (ग) प्रोत्साहन राशि - 25%

प्रोत्साहन राशि का वितरण निम्न तालिका के अनुसार किया जायेगा:-

चिकित्सा महाविद्यालय

चिकित्सक/चिकित्सा कर्मी	सरकारी चिकित्सकों/चिकित्सा कर्मी द्वारा किये जाने वाले उपचार की स्थिति में (प्रोत्साहन राशि 25% अंतर्गत)	बाह्य श्रोत से विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किये जाने वाले उपचार की स्थिति में (प्रोत्साहन राशि 25% एवं संबंधित विभाग को निर्धारित 40% अंतर्गत)		बाह्य श्रोत से अति विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किये जाने वाले उपचार की स्थिति में (प्रोत्साहन राशि 25% एवं संबंधित विभाग को निर्धारित 40% अंतर्गत)	
		(प्रोत्साहन राशि 25% के अंतर्गत)	(अतिरिक्त राशि विभाग को निर्धारित 40% अंतर्गत)	(प्रोत्साहन राशि 25% के अंतर्गत)	(अतिरिक्त राशि विभाग को निर्धारित 40% अंतर्गत)
	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत
प्राचार्य	2	2		2	
अधीक्षक	2	2		2	
विभागाध्यक्ष	2	2		2	
सर्जन/मुख्य चिकित्सक जिनके द्वारा ईलाज प्रदान किया गया।	25	25	35	25	45
फिजिशियन/उपचार में सहभागी अन्य चिकित्सक	10	10		10	
निश्चेतक/अन्य विभाग के चिकित्सक जिनके द्वारा चिकित्सा प्रबंधन में सहयोग प्रदान किया गया	15	15	9.5	15	9.5
स्टाफ नर्स	15	15		15	
नर्सिंग सहायक	10	10		10	

प्रयोगशाला तकनीशियन	5	5		5	
रेडियोलॉजिकल तकनीशियन	5	5		5	
अन्य पारा मेडिकल कर्मी एवं हाउस कीपिंग स्टाफ	5	5		5	
अन्य सहयोगी कर्मी	4	4		4	

बाह्य श्रोत से विशेषज्ञ चिकित्सक/अति विशेषज्ञ चिकित्सक एवं निश्चेतक को सामान्य प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त देय राशि विभाग के सुदृढीकरण हेतु निर्धारित राशि से दी जायेगी।

7. अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक/अति विशेषज्ञ चिकित्सक की अनुपलब्धता तथा इनकी आवश्यकता के आलोक में अस्पताल द्वारा OPD सेवाओं हेतु भी विशेषज्ञ चिकित्सक/अति विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। इस हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों को 200 रु० प्रति मरीज एवं अति विशेषज्ञ चिकित्सकों को 300 रु० प्रति मरीज पारिश्रमिक देय होगा परन्तु यह राशि प्रति विशेषज्ञ/अति विशेषज्ञ चिकित्सक प्रतिमाह रु० 1,50,000/—(एक लाख पचास हजार) से अन्यून होगी।

यह राशि संस्थान के सुदृढीकरण हेतु निर्धारित राशि के अन्तर्गत देय होगी।

8. बाह्य श्रोत से विशेषज्ञ/अति विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवाएं प्राप्त करने की स्वीकृति तथा विशेषज्ञ चिकित्सक का चयन क्षेत्रीय अस्पतालों के मामले में विभागीय पत्रांक-04(अ0) AB-PMJAY-08/2021-117(4) रांची, दिनांक- 14.09.2022 के द्वारा गठित अनुश्रवण समिति से तथा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के मामले में निम्नलिखित समिति द्वारा प्रदान की जायेगी:-

- संबंधित जिला के उपायुक्त
- संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य
- संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के अधीक्षक
- संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष
- संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के वरीयतम प्राध्यापक

9. चिकित्सा संस्थान तथा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के विभाग द्वारा उपार्जित राशि का उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया जा सकेगा:-

- चिकित्सा संस्थान/विभाग के स्थायी आधारभूत संरचना का विकास तथा मशीन उपकरण का क्रय
- चिकित्सक/चिकित्सा कर्मी की सेवाएं बाह्य श्रोत से प्राप्त करने तथा उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान करना
- दवाओं एवं अन्य उपभोग्य का क्रय जो अस्पताल में उपलब्ध नहीं हो।
- बाह्य श्रोत से करायी गयी चिकित्सकीय जॉच जिसकी सुविधा अस्पताल में उपलब्ध नहीं हो।
- बीमा योजना से आच्छादित मरीजों के उपचार में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग में आनेवाली सामग्रियों यथा-इम्प्लान्ट प्रयोगशाला सामग्री, रेडियोलॉजिकल सामग्री/कार्य, ब्लड बैंक से







ज्ञापांक:-21/आयुष्मान-09-01/2024.....108(21) रांची,दिनांक:- 14.08.2024
 प्रतिलिपि-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य
 सचिव/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के
 आप्त सचिव/मुख्य सचिव के आप्त सचिव/ सभी अपर मुख्य सचिव/ सभी
 प्रधान सचिव/ सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी
 उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव
 14/08/24

ज्ञापांक:-21/आयुष्मान-09-01/2024.....108(21) रांची,दिनांक:- 14.08.2024
 प्रतिलिपि-अभियान निदेशक, एन0एच0एम0/कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड राज्य
 आरोग्य सोसाईटी/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक,
 स्वास्थ्य सेवाएँ/निदेशक, रिम्स/ निदेशक, रिनपास/ प्राचार्य/अधीक्षक,
 एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल जमशेदपुर/
 प्राचार्य/अधीक्षक, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल,
 धनबाद/ प्राचार्य/अधीक्षक, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल,
 हजारीबाग/ प्राचार्य/अधीक्षक, फूलो-झानों मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल,
 दुमका/प्राचार्य/अधीक्षक, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पलामू/
 नोडल पदाधिकारी, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना/नोडल
 पदाधिकारी आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन अरोग्य योजना/सभी सिविल
 सर्जन/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित अस्पताल/
 चिकित्सा संस्थानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव
 14/08/24